# माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ----------/2018 नि/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/1821

चकपान पुत्र हरप्रसाद जाति लुहार उम्र 81 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम मेंहदा तेहसील रोन जिला भिण्ड म0प्र0 ...

............ आवेदक

बनाम

1 माताप्रसाद पुत्र श्री गोरेलाल जाटव उम्र 41 वर्ष पेशा कृषि, निवासी बिसेने का पुरा ग्राम पंचायत मेंहदा, तेहसील रोन जिला भिण्ड म0प्र0

2 विद्याराम उम्र 58 वर्ष

3 अमरसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्रगण बद्रीप्रसाद बघेल पेशा कृषि, निवासी ग्राम मेंहदा, तेहसील रोन जिला भिण्ड म0प्र0

4 राधेलाल उम्र 68 वर्ष

5 सेवाराम उम्र 56 वर्ष पुत्रगण श्रीलाल निवासी बिरखडी तेहसील रोन जिला भिण्ड म0प्र0

6 तेहसीलदार ,तेहसील रोन जिला भिण्ड म0प्र0

..............................अनावेदकगण

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांक 27/04/1998 प्र.क. 1/97-98, अ-19 न्यायालय तेहसीलदार तेहसील रोन जिला भिण्ड म0प्र0 एवं

कलैक्टर महोदय भिण्ड के आदेश दिनांक 2/2/2018

**प्रकरण कमांक 0032/17-18/निगरानी के मार्गदर्शन में निगरानी प्रस्तुत**

श्रीमानजी ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नप्रकार सादर प्रस्तुत है :-

## प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

1 यह कि आवेदक के पूर्वजों ने सम्बत 2003 में ग्राम मेहदा तेहसील रोन जिला **भिण्ड** म0प्र0 में स्थित आराजी सर्वे नं. 375 रकवा 0-156 व सर्वे नं. 376 रकवा 0-428 एवं मिन सर्वे नं. 687 **रकवा** 0-418 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 0.992 हैक्टेयर जो कि आवेदक के अन्य भूमिस्वामी स्वत्व के सर्वे नम्बरों;(**403** व 2205 नए सर्वे नम्बरों) में मिली है तथा साथ लगी है ,पर तत्कालीन पटवारी की सहायता से जबरन कब्जा कर लिया था तथा इस बेहड भूमि को प्रतिवर्ष फाउडा कुदाल से खुदाई कर एवं हलबैल की सहायता से काबिल कास्त बना लिया था । तब से लेकर लगातार अभी तक निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक आवेदक के पूर्वज एवं आवेदक इन आराजियों पर कृषि कार्य करते आ रहे है तथा प्रतिवर्ष अभी भी बची हुई बेहड भूमि को समतल किए जा रहे है । कब्जा करने के पश्चात आवेदक के पूर्वजों का लगातार व अखण्डित रूप से कब्जा चला आ रहा है ।इनमे से **376** सर्वे नम्बर का कब्जा इंद्राज मेरे पूर्वज हरप्रसाद के नाम खसरा में भी किया है **Annexure P-1** का अवलोकन करें ।

XXIX(a)-BR(H)-11

416

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/1821

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य**<br><br>(3) | |